प्रेस नोट संख्या- 11
दिनांक 10.05.2025
सराहनीय कार्य अमेठी पुलिस

थाना पीपरपुर पुलिस द्वारा चोरी की ई-रिक्शा के खुले हुये पार्ट के साथ 03 नफर अन्तर्जनपदीय अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक अमेठी श्रीमती अपर्णा रजत कौशिक के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री हरेन्द्र कुमार के पर्यवेक्षण में जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों के धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी अमेठी श्री मनोज कुमार मिश्रा के कुशल नेतृत्व में दिनांक 09.05.2025 को उ0नि0 संकठा प्रसाद मौर्या थाना पीपरपुर मय हमराह तलाश वांछित व चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु, वाहन क्षेत्र में मौजूद थे तभी मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि 03 संग्दिध व्यक्ति ग्राम बड़ा इस्माइलपुर में दिनेश सिंह के टीन शेड के नीचे चोरी के 01 ई-रिक्शा के साथ जो अलग-अलग पार्ट में खोलकर मौजूद है। उक्त सूचना पर थाना पीपरपुर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर हिकमतअमली से 01 ई-रिक्शा के अलग-अलग पार्ट के साथ 03 अभियुक्तों को पकड़ लिया गया। नाम पता पूछने पर अपने नाम क्रमश: 01.दिनेश सिंह उर्फ मुन्ना सिंह पुत्र विजय नारायण सिंह निवासी ग्राम बड़ा इस्माइलपुर थाना पीपरपुर जनपद अमेठी उम्र करीब 54 वर्ष, 02.विनोद पाण्डेय पुत्र रामआसरे पाण्डेय निवासी गोकुला मजरे परसोइया थाना रामगंज जनपद अमेठी उम्र करीब 59 वर्ष एवं 03.दुखीराम पुत्र रामदास निवासी ग्राम जनतानगर नगरडीह थाना पीपरपुर जनपद अमेठी उम्र करीब 59 वर्ष बताया।

पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि दिनांक 02.05.2025 को यह ई-रिक्शा को हम तीनों लोगों ने मिलकर जनपद सुलतानपुर के कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम तिवारीपुर के पास से चोरी किये थे। जिसको हम लोगों ने बेचने का प्रयास किया किन्तु कोई खरीदने को तैयार नहीं हुआ इसीलिये बेचने के लिए हम लोगों ने अलग-अलग पार्ट में खोलकर रखे है। उक्त ई-रिक्शा की जानकारी कोतवाली देहात जन सुलतानपुर से की गई तो कोतवाली देहात जनपद सुलतानपुर द्वारा बताया गया कि उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात जनपद सुलतानपुर पर मु0अ0स0 165/25 धारा 303 (2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत है। बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर थाना पीपरपुर द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता–

1. दिनेश सिंह उर्फ मुन्ना सिंह पुत्र विजय नारायण सिंह निवासी ग्राम बड़ा इस्माइलपुर थाना पीपरपुर जनपद अमेठी उम्र करीब 54 वर्ष।
2. विनोद पाण्डेय पुत्र रामआसरे पाण्डेय निवासी गोकुला मजरे परसोइया थाना रामगंज जनपद अमेठी उम्र करीब 59 वर्ष।
3. दुखीराम पुत्र रामदास निवासी ग्राम जनतानगर नगरडीह थाना पीपरपुर जनपद अमेठी उम्र करीब 59 वर्ष।

बरामदगी-

- ***चोरी की ई-रिक्शा के पार्ट-*** 04 अदद बैटरी, 01 अदद खुली बाडी मय शीट सहित, 01 छतरी मय गार्ड, 01 अदद आगे का फ्रेम सीसा सहित, 02 अदद साईड गार्ड, 01 अदद आगे का फ्रेम, 01 अदद पीछे का बम्फर, 04 अदद पहिया रिम सहित, 01 अदद स्टेपनी कवर, 01 अदद साकर आगे का मय मेट गार्ड, 01 अदद हैण्डल, 01 अदद धुरा मोटर सहित।

पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

1. मु0अ0सं0 43/25 धारा 35(1), 35(2), 317(2) बीएनएस थाना पीपरपुर जनपद अमेठी।
2. मु0अ0स0 165/25 धारा 303 (2) बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद सुल्तानपुर। (से संबंधित)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. श्री रामराज कुशवाह प्रभारी निरीक्षक थाना पीपरपुर जनपद अमेठी।
2. उ0नि0 संकटा प्रसाद मौर्या थाना पीपरपुर जनपद अमेठी।
3. हे0का0 हेमन्त यादव थाना पीपरपुर जनपद अमेठी।
4. हे0का0 दीपचन्द्र प्रजापति थाना पीपरपुर जनपद अमेठी।
5. का0 मिथिलेश यादव थाना पीपरपुर जनपद अमेठी।
6. का0 संजय यादव थाना पीपरपुर जनपद अमेठी।

अभियुक्त दिनेश सिंह उर्फ मुन्ना सिंह का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 988/09 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना पीपरपुर जनपद अमेठी।
2. मु0अ0सं0 1464/15 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवा0 अधि0 थाना जी0आर0पी0 वाराणसी।

अभियुक्त विनोद पाण्डेय का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 528/07 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पीपरपुर जनपद अमेठी।
2. मु0अ0सं0 371/20 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना पीपरपुर जनपद अमेठी।